



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 भाद्र 1947 (श10)

(सं0 पटना 1424) पटना, बृहस्पतिवार, 28 अगस्त 2025

परिवहन विभाग

अधिसूचना

26 अगस्त 2025

सं० 05/स्था0-01-03/2021/7053—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं०-15046, दिनांक-12.08.2025 द्वारा परिवहन विभाग के 13 जिला परिवहन कार्यालय में जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन किया गया है। पदस्थापित पदाधिकारी का नाम एवं जिला निम्नवत् है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थान	नवपदस्थापन
1	श्री सुजीत कुमार बरनवाल, 769/24, गोपालगंज	वरीय उप समाहर्ता, मधुबनी।	जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा।
2	श्रीमती रीतु रानी, 871/24, सीतामढ़ी	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पालीगंज, पटना।	जिला परिवहन पदाधिकारी, बेतिया (प० चम्पारण)।
3	श्री अमन प्रीत सिंह, 744/24, उत्तराखंड	अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज, पटना।	जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल।
4	श्री दीक्षित स्वेतम, 819/24, भागलपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई, कटिहार।	जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज।
5	श्री राकेश कुमार सिंह, 567/24, प० चम्पारण	अनुमंडल पदाधिकारी, मोहनियाँ, कैमूर।	जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास।
6	श्री राहुल सिन्हा, 725/24, हरियाणा	अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा।	जिला परिवहन पदाधिकारी, नालंदा।
7	श्री अमित कुमार, 833/24, गयाजी	अनुमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी।	जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर।
8	श्री अविनाश कुमार, 658/24, पटना	अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ी दयाल, पूर्वी चम्पारण।	जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद।
9	श्रीमती सुनंदा कुमारी, 808/24, नालंदा	अनुमंडल पदाधिकारी, गोगड़ी, खगड़िया।	जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद।
10	श्री राजीव कुमार, 573/24, गयाजी	विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना।	जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय।

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थान	नवपदस्थापन
11	डॉ० संजीव कुमार सज्जन, 566/24, मधेपुरा	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, कैमूर।	जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल।
12	श्री प्रशांत कुमार, 775/24, सारण	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, दरभंगा।	जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी।
13	श्रीमती बेबी कुमारी, 545/24, पटना	वरीय उप समाहर्ता, प० चम्पारण, (अपर समाहर्ता स्तर में उत्क्रमित)	जिला परिवहन पदाधिकारी, शेखपुरा।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए उपरोक्त कंडिका 1 से 13 में अंकित पदाधिकारियों को उनके जिले हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृत्यानंद रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1424-571+10-डी०टी०पी०
Website: : <https://egazette.bihar.gov.in>